

राजस्थान सरकार



कार्यालय परियोजना निदेशक

राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.)

राजस्थान, जयपुर

संवेदक के माध्यम से कार्यालय भवन में आन्तरिक सजावटी पेड़-पौधे लगाने एवं
उसके रखरखाव के कार्य हेतु दर संविदा
(वित्तीय 2025-26 वर्ष के लिए)

ए.वी.एस. बिल्डिंग, जवाहर सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मुख्यवीय नगर, जयपुर - 302017

दूरभाष : 2545831, 2721520 फैक्स : 2721919



Digitally signed by Kapil Gupta
Designation : Deputy Project
Director
Date: 2025.07.04 15:44:02 IST
Reason: Approved

दस्तावेज सारणी

क.सं.	विवरण
01	बोली आमंत्रण सूचना
02	बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश
03	बोली की सामान्य एवं विशेष शर्तें

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation: Deputy Project
Director
Date: 2025.07.04 15:44:02 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक

राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर.यू.आई.डी.पी.)

ए.वी.एस. बिल्डिंग, जवाहर सर्किल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

फोन : 91 141 2721966

फैक्स : 91 141 2721919

ई मेल : mail.ruidp@rajasthan.gov.in

वैबसाइट : <https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp>

संख्या: प.4(7)()आरयूआईडीपी / पीएमयू / स्टोर / 2025 / 4709

दिनांक: 04/07/2025

(01)

बोली आमंत्रण सूचना / 2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कार्यालय आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर के लिए संवेदक के माध्यम से कार्यालय भवन में आन्तरिक सजावटी पेड़-पौधे लगाने एवं उनके रखरखाव के कार्य हेतु सील बन्द बोलियों में आमंत्रित की जाती हैं। बोली शर्तों का अवलोकन कार्यालय की वैबसाइट "<https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp>" पर किया जा सकता है एवं बोली दस्तावेज को डाउनलोड किये जा सकते हैं।

बोली निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी। जिसे कार्यालय से 500/- रुपये का भुगतान कर भी प्राप्त किया जा सकेगा अथवा पोर्टल से डाउनलोड कर फार्म फीस राशि रुपये 500.00 रुपये की डीडी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। इस राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं किया जावेगा। बोली के साथ रु. 1,500 रुपये (अक्षरे रुपये एक हजार पांच सौ मात्र) की बोली प्रतिभूति राशि बैंक, नकद, बैंकर चेक / ड्राफ्ट जो कि बोली की मूल कालावधि से तीस दिवस अग्रिम तक विधि मान्य हो, के रूप में जमा करानी होगी। बोली प्रपत्र कार्यालय समय में दिनांक 04.07.2025 से दिनांक 11.07.2025 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। बोली प्रपत्र दिनांक 11.07.2025 को सायं 3:00 बजे तक प्राप्त कर एवं दिनांक 11.07.2025 को 3:30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के सम्मुख खोले जायेंगे।

उप परियोजना निदेशक (प्रशा0)

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation: Deputy Project
Director
Date: 2025.07.04 15:44:02 IST
Reason: Approved

बोली लगाने वालों के लिए अनुदेश

(02)

1. बोली दस्तावेज शुल्क की राशि रुपये 500/—(अक्षरे पांच सौ रुपये) नकद रसीद/बैंक ड्राफ्ट
2. अनुमानित लागत कुल राशि रु. 74,000/—मात्र
3. बोली प्रतिभूति राशि लागत का 2 प्रतिशत राशि रु. 1,500/—
परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास
परियोजना (आरयूआईडीपी) जयपुर के पक्ष में देय होगा।
4. एमएसएमई को नियमानुसार छूट देय होगी।
5. पारस्परिक समझौते पर अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
6. बोली की वैधता अवधि 90 दिन के लिए होगी। स्वीकृत दरें एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
7. सफल बोलीदाता को 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन राशि आरटीपीपी रूल्स 2013 के अनुसार जमा करानी होगी। उक्त राशि में बोली प्रतिभूति का समायोजन किया जा सकता है।
8. बोली स्वीकृत कर लिए जाने के बाद यदि बोलीदाता अनुबंध अवधि में सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाता है या कार्य सम्पादन नहीं करा पाता है तो उसकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. बोलीदाता अथवा उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को किसी भी रूप में राजकीय सेवा में नियुक्ति पाने के लिये आवेदन अथवा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
10. बोलीदाता बोली स्वीकृत होने पर कार्य के भाग/हिस्से या सम्पूर्ण कार्य किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा।
11. राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना एवं बोली सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्तें जो बोली पत्र के साथ संलग्न हैं, उनसे हम पूर्णतया सहमत हैं के लिए बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर किये जायेंगे।
12. प्राप्त बोली में किसी बिन्दु पर जानकारी स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित बोलीदाता को स्पष्टीकरण हेतु लिखा/बुलाया जा सकता है एवं स्पष्टीकरण उपरान्त विभाग किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकृत कर सकता है। जिसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जावेगा।
13. कार्यालय द्वारा आमंत्रित बोली को बिना कोई कारण बताये विभाग को बोली निरस्त करने का अधिकार होगा।

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation: Deputy Project
Director
Date: 2025.07.04 15:44:02 IST
Reason: Approved

बोली डाटा शीट

(03)

बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी।

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

उपरोक्त में जो लागू नहीं हो उसे "लागू नहीं" करके भरे।

Signature valid

Digitally signed by Kam Gupta
Designation: Deputy Project
Director
Date: 2025.07.02 17:53:10 IST
Reason: Approved

बोली प्रारूप

(04)

कार्य दरों का विवरण

कार्यालय भवन में आन्तरिक सजावटी पेड़-पौधे लगाने एवं उनके रखरखाव की सेवाओं के उपापन के लिये आपूर्ति दर निम्नानुसार होगी :

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	पौधों की संख्या	अनुमानित मासिक दर प्रति पौधा	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत मासिक दर प्रति पौधा	जीएसटी अथवा अन्य कोई कर की राशि / प्रतिशत	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	Small size plants with Earthen / PVC pots with drip tray (owned by contractor)	30	55			
2	Medium size plants with earthen / PVC pots with drip tray (owned by contractor)	40	65			
3	Large / Big size plants with earthen / PVC pots with drip tray (owned by contractor)	20	95			

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 4 की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जाएगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5 से 7 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी)

क्र. सं.	विवरण	राशि	राशि जमा कराये जाने का प्रकार	संख्या एवं दिनांक
01.	बोली दस्तावेज की शुल्क की राशि	500 / -		
02.	बोली प्रतिभूति राशि	1,500 / -		

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation: Deputy Project
Director
Date: 2025.07.04 15:44:02 IST
Reason: Approved

बोली की सामान्य एवं विशेष शर्तें

(05)

1. यदि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सर्विस चार्ज की दरें न्यूनतम व्यय यथा मैनेजमेन्ट फीस व अन्य प्रकार के ओवरहेड चार्जेज अदि की युक्तियुक्त राशि शामिल नहीं करने के कारण उचित (Feasible) नहीं पायी जाती हैं तो निविदादाता को औचित्यपूर्ण विस्तृत दर प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है। यदि इस प्रकार प्राप्त औचित्यता (justification) विभाग को स्वीकार्य नहीं पायी जाती हैं तो अगले न्यूनतम निविदादाता की दरें स्वीकार की जा सकेंगी।
2. यदि एक से अधिक निविदादाताओं की न्यूनतम दरें एक समान होने से एक से अधिक L-01 होते हैं तो बोली डाटाशीट में सबसे अधिक अनुभव वाले निविदादाता को L-01 माना जाएगा।
3. संवेदक द्वारा वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी।
4. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. सफल बोलीदाता को कार्यादेश के 7 दिवस में रु. 500/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध सम्पादित कर कार्य कराने होंगे।
6. सभी सजावटी पौधे माह में कम से कम एक बार बदले जायेंगे।
7. माह के दौरान खराब हुए पौधे तत्काल बदले जायेंगे।
8. पेड़-पौधे में समय-समय पर खाद-पानी आदि डलवाने की जिम्मेदारी संवेदक को होगी।
9. पौधे आकर्षक एवं फूल वाले होने चाहिए।
10. पेड़-पौधों की कटिंग आदि समय-समय पर करनी होगी।
11. पेड़-पौधों में समय-समय पर कीटनाशक दवाईयों का उपयोग करना होगा।
12. बिल का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।
13. जब भी सजावटी पेड़-पौधे बदले जायेंगे उनकी वीडियो क्लिप तैयार कर सहायक परियोजना अधिकारी (मुख्यालय) कर उपलब्ध करवानी होगी। प्रत्येक माह सजावटी पेड़-पौधे बदलने के कार्य का कार्यशीट तैयार किया जाएगा जिस पर विभाग के कम से कम तीन कार्मिकों के हस्ताक्षर करवाने होंगे। सभी चालानों की प्रतियां त्रैमासिक बिल के समय उपलब्ध करवानी होगी।
14. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिल की राशि के 5 प्रतिशत तक शास्ती आरोपित की जा सकेंगी।
15. कार्य संतोषजनक होने व आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेंगी।
16. अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 एवं नवीनतम संशोधन के अनुसार होगी।

Signature valid

Digitally signed by **हंस बोलीदाता**
Designation: Deputy Project
Director
Date: 2025.07.04 15:44:02 IST
Reason: Approved

संविदा (अनुबंध) प्रारूप

(06)

यह अनुबंध आज दिनांक को प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर के मध्य सम्पादित किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध पर संवेदक के माध्यम से कार्यालय भवन में आन्तरिक सजावटी पेड़-पौधे लगाने एवं उनके रखरखाव की सेवाओं के उपापन हेतु निम्नलिखित दरों एवं शर्तों के अनुसार द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराये जावेंगे।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	पौधों की संख्या	अनुमानित मासिक दर प्रति पौधा	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत मासिक दर प्रति पौधा	जीएसटी अथवा अन्य कोई कर की राशि / प्रतिशत	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	Small size plants with Earthen / PVC pots with drip tray (owned by contractor)	30	55			
2	Medium size plants with earthen / PVC pots with drip tray (owned by contractor)	40	65			
3	Large / Big size plants with earthen / PVC pots with drip tray (owned by contractor)	20	95			

अन्य सभी शर्तें बोली दस्तावेज में अंकितानुसार होंगी जो कि इस अनुबंध का भाग है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

कार्यालयाध्यक्ष
आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर

Signature valid

1. साक्षी-प्रथम

2. साक्षी द्वितीय

1. साक्षी-प्रथम
Digitally signed by Karan Gupta
Designation: Deputy Project
Director
Date: 2025.07.04 15:44:02 IST
Reason: Approved

अपील (07)

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के तहत :

प्रथम अपील अधिकारी— सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा उनके प्रतिनिधि

द्वितीय अपील अधिकारी— सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि होंगे।

2. अपील का प्रारूप :-

1. धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।
2. प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
3. प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस :-

- (i) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिये दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (ii) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation: Deputy Project
Director
Date: 2025.07.04 15:44:02 IST
Reason: Approved

अपील प्रारूप
(08)

फार्म नंबर-1
(नियम 83)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.....अपील संख्या.....

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी).....के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियाँ :

1. अपीलार्थी का नाम :
2. कार्यालय का पता, यदि कोई हो :
3. आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

- 1.
- 2.
- 3.

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता:
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथ पत्रों और दस्तावेजों की संख्या
6. अपील का आधार :

... (शपथ पत्र द्वारा समर्थित)

Signature valid

Digitally signed by Karam Gupta
Designation: Deputy Project
Director
Date: 2025.07.04 15:44:02 IST
Reason: Approved



CIN: U74999RJ2004SGC019961

Office of RUDSICO, External Aided Project (RUIDP)

Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd

Address: AVS Building, Jawahar Circle, JLN Marg, Jaipur - 302017

Ph. - 141 2721966 Fax No. 141 2721919,

E-mail:- mail.ruidp@rajasthan.gov.in Website:- <https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp>

संख्या: प.4(7)()आरयूआईडीपी/पीएमयू/स्टोर/2025/4710

दिनांक: 04/07/2025

नोटिस बोर्ड

बोली आमंत्रण सूचना / 2025-26

आर.यू.आई.डी.पी. के जयपुर स्थित कार्यालय भवन में आन्तरिक सजावटी पेड़-पौधे लगाने एवं उनके रखरखाव के कार्य हेतु लगभग राशि रुपये 74,000/- वर्ष 2025-26 हेतु कौटेशन मांगी गई है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र <https://sppp.rajasthan.gov.in> व विभागीय वेबसाइट <https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp> पर उपलब्ध है।

उप परियोजना निदेशक (प्रशा0)

मैसर्स

मैसर्स

मैसर्स

मैसर्स

कार्यालय सूचना पट्ट

उप परियोजना निदेशक (प्रशा0)

Signature valid

Digitally signed by Kapil Gupta
Designation: Deputy Project
Director
Date: 2025.07.04 15:44:02 IST
Reason: Approved